न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. सद्दाम हुसैन पुत्र जमालुदीन, उम्र 26 वर्ष, जाति- घोसी,
   निवासी- हिना कॉलोनी, कृष्णगंज रोड, आबूरोड, जिला- सिरोही
   (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्म:- राजस्थान डेयरी, सुभाष मार्केट, आबूरोड, जिला- सिरोही

प्रकरण संख्या: 24/2019

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति:

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. सद्दाम हुसैन, प्रतिवादी अभियुक्त स्वयं

-: निर्णय :- दिनांक 25 नवम्बर, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी के विरुद्ध यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 04.11.2018 को समय 1.00 पी.एम. पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी फर्म राजस्थान डेयरी, सुभाष मार्केट, आबूरोड, जिला- सिरोही पर पँहुचा। वहां पर विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति सद्दाम हुसैन पुत्र जमालुदीन, जाति- घोसी, निवासी- हिना कॉलोनी, कृष्णगंज रोड, आबूरोड, जिला- सिरोही है एवं फर्म राजस्थान डेयरी, सुभाष मार्केट, आबूरोड पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान के फर्श पर गत्ता बॉक्स में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) के 16x3 kg पेकेटों में से एक पैकेट खोलकर हलवा (कृष्णा ब्राण्ड)में से 2 किलोग्राम जांच हेतु एक साफ सूखे, खांली भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 280/- अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। खरीद रसीद बिल पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता व उपस्थित गवाह और मेरे हस्ताक्षर है। फार्म संख्या- 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंने भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त

....पेज दो पर

की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखे एवं खाली कंटेनर/जार दिखाये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल पर कोड एवं सीरियल नं. दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये है। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया, तत्पश्चात् खरीदशुदा हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) को चारों जारों में बराबर बराबर मात्रा में भरा व प्रत्येक जार में 40-40 बूंदे फार्मलीन डालकर जारों को कार्क से एयरटाईट बंद किया तथा हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) के मूल लेबल को भी एक कंटेनर/जार के साथ लगाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-861 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये. फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, लेकिन खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) के बिल की जानकारी चाहने पर सद्दाम हुसैन ने बताया की मेरे पास बिल नही है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां लिफाफों में अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 05.11.2018 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा श्री बाबुलाल, वार्ड बॉय, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 04.11.2018 को शेष तीन सील बन्द नमूना व फार्म नम्बर- 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) का नमूना S-861 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं

......पेज तीन पर

मनन कर प्रतिवादी अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रतिवादी अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 19.11.2019 को प्रतिवादी अभियुक्त सद्दाम हुसैन उपस्थित हुआ एवं लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 04.11.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जिस हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) का नमूना जांच के लिये लिया था जो जांच में मिस ब्राण्ड पाया गया है वह मैनें अहमदाबाद में एक डेयरी से लिया था इसका बिल दुकान की अदला बदली में मिस हो गया है इसलिये बिल पेश करने में असमर्थ हूँ। अब मैनें इस हलवा (कृष्णा ब्राण्ड)को बेचना बंद कर दिया है। भविष्य में इस प्रकार के खाद्य पदार्थो का बेचान नही करुंगा। यह मेरी पहली गलती है। इस प्रकार की गलती आगे नही करुंगा। मै एक छोटा डेयरी चलाने वाला हूँ। कृप्या मुझे इस मुकदमें से बरी करावे।

(3) प्रकरण में उक्तानुसार प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 19.11.2019 को ही उभय पक्ष की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी अभियुक्त ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी अभियुक्त ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध किया कि वह छोटा सा व्यापारी है व भविष्य में बिल से खाद्य पदार्थ खरीदेगा व मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय नही करेगा, इसलिये कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 04.11.2018 को 1.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म राजस्थान डेयरी, सुभाष मार्केट, आबूरोड, जिला-

.....पेज चार पर

सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म राजस्थान डेयरी, सुभाष मार्केट, आबूरोड में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से सद्दाम हुसैन पुत्र जमालुदीन, जाति- घोसी, निवासी- हिना कॉलोनी, कृष्णगंज रेाड, आबूरोड, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म राजस्थान डेयरी, सुभाष मार्केट, आबूरोड के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री वीराराम पुत्र श्री भैराराम, निवासी- नितोडा, जिला- सिरोही एवं श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष मैनेजर/खाद्यकारोबारकर्ता सद्दाम हुसैन को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा दुकान की फर्श पर बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) के 16 पैकड पैकेटों (प्रत्येक पैकेट 3 किलोग्राम) में से एक पैकेट खोलकर हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) को अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरुप किया एवं इस एक रुप किये हुए हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) में से 2 किलोग्राम जांच हेतु एक साफ सूखे, खाली भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 280/- (अक्षरे रुपये दो सौ अस्सी मात्र) अदा कर क्रय करने की रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता सद्दाम हुसैन व उक्त गवाहान तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) को चार साफ, सूखी व खाली जारों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक नमूना जार में फार्मेलीन की 40-40 बूंदे डालकर जारों के ढ़क्कन को एयरटाईट बंद किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-861, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता सद्दाम हुसैन व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) की चारों नमूना जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) के मूल लेबल को भी एक जार के साथ लगाया तथा चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-861 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता सद्दाम हुसैन व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता सद्दाम हुसैन व उक्त गवाहान तथा आवेदक

.....पेज पांच पर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म राजस्थान डेयरी, सुभाष मार्केट, आबूरोड, जिला- सिरोही में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता सद्दाम हुसैन से खाद्य पदार्थ हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। साथ ही, फार्म नम्बर-6 की दो-दो प्रतियां अलग से लिफावों में रखकर लिफावों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री बाबुलाल, वार्ड बॉय, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा दिनांक 04.11.2019 को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 04.11.2019 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-861 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./910/Act/2018/929 दिनांक 28.12.2018 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म राजस्थान डेयरी, सुभाष मार्केट, आबूरोड, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता सद्दाम हुसैन से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ हलवा (कृष्णा ब्राण्ड)का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a), 3(1)(zf)(B)(ii) व 3(1)(zf)(C)(i) के अर्न्तगत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी अभियुक्त ने उक्त खाद्य पदार्थ हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) की खरीद का बिल प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति में, उक्त मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ हलवा (कृष्णा ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी अभियुक्त ही उत्तरदायी है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की

.....पेज छ: पर

धारा- 52 के तहत प्रतिवादी सद्दाम हुसैन पुत्र जमालुदीन, जाति- घोसी, निवासी- हिना कॉलोनी, कृष्णगंज रोड, आबूरोड, जिला- सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म राजस्थान डेयरी, सुभाष मार्केट, आबूरोड, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी सद्दाम हुसैन पुत्र जमालुदीन, जाति- घोसी, निवासी- हिना कॉलोनी, कृष्णगंज रोड, आबूरोड, जिला- सिरोही को आदेशित को किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2019.11.27 13:40:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: